उत्तराखण्ड शासन
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–2
संख्याः 217 /XXX(2)/2019-55(21)2002
देहरादूनः दिनांकः 04 सितम्बर, 2019

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 (संशोधन) नियमावली, 2019 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 2(ग) का संशोधन 2. उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए विद्यमान नियम 2 के खण्ड (ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–1 विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :– (1) पत्नी या पति, (2) पुत्र, (3) अविवाहित पुत्रियाँ, विधवा पुत्रियाँ तथा तलाकशुदा पुत्रियाँ; (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन	(ग) "कुटुम्ब" के अन्तर्गत मृत सरकारी सेवक के निम्नलिखित सम्बन्धी होंगे :– (1) पत्नी या पति, (2) पुत्र, (3) पुत्री, (4) मृत सरकारी सेवक पर निर्भर अविवाहित भाई, अविवाहित बहन

और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।	और विधवा माता, यदि मृत सरकारी सेवक अविवाहित था।

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव